286036

संख्या– /IV(2)-श0वि0–2025–12(सा0)/2024 (84602)

प्रेषक,

गौरव कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

लि0ति0/JE/AE

स0न0आ0
नगर निगम, पिथौरागढ़

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 26 मार्च, 2025**

विषयः अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–2025 में नगर निगम, पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः 3946 दिनांक 06.11.2024 व पत्रांक 34264, 13.01.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "अवस्थापना विकास निधि योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–2025 में नगर निगम, पिथारौगढ़ क्षेत्रान्तर्गत **परिशिष्ट–अ** में वर्णित योजनाओं/कार्यों हेतु **कुल रू0 681.25 लाख (रू0 छः करोड़ इक्यासी लाख पच्चीस हजार मात्र)** की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) उक्त धनराशि **रू0 681.25 लाख (रू0 छः करोड़ इक्यासी लाख पच्चीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर निगम, पिथौरागढ़ को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम/यथा प्रकिया एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि (एकमुश्त/प्रथम किस्त) का पूर्ण उपयोग चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति अथवा 06 माह की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से कर लिया जायेगा। योजना हेतु द्वितीय किश्त अपेक्षित हो तो योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण (फोटोग्राफ सहित) निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ समयान्तर्गत प्रेषित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत योजना के सापेक्ष समयवृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

(4) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(5) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

(6) कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की क्नचसपबंबल की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी एवं अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(7) स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(8) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(8) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

Scanned with CamScanner

(9) आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी। जनसुविधार्थ स्वीकृत योजना की कार्यलागत एवं योजना की समयावधि का विवरण सार्वजनिक किया जायेगा।

(12) उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा संरक्षित रखे जायेंगे तथा कार्य समाप्ति के एक माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में (कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) धनराशि का दिनांक 31.12.2025 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान सं.–13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन वस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक– एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Gaurav Kumar
Date: 26-03-2025 13:31:39

(गौरव कुमार)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
3– जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
4– नगर आयुक्त, नगर निगम, पिथौरागढ़।
5– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner

286036

परिशिष्ट–अ

शासनादेश संख्या (1)/IV(2)- श0वि0–2024 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क.सं	निर्माण कार्य का नाम	संस्तुत लागत
	नगर निगम, पिथौरागढ़	
1	बजेटी (महादेव धारा के निकट) श्री जीवन लाल भवन के निकट से श्री पप्पू शर्मा भवन की ओर नाले की सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	19.94
2	बजेटी में बजेटी मुख्य सड़क (पार्किंग से आगे) से श्री. दिवानी राम भवन की ओर रास्ता व रैलिंग निर्माण कार्य।	10.54
3	बजेटी महादेव पुल से श्री महेश राम भवन की ओर आवासीय भवनों की सुरक्षा हेतु नाले की सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	19.62
4	वार्ड धनौड़ा श्रीमती माया जोशी भवन (ए.आर.टी.ओ. रोड़) के निकट से श्री धाम सिंह डाँगी भवन की ओर रास्ता निर्माण कार्य।	10.29
5	वार्ड टकाना–पियाना ईदगाह के निकट से श्री जगदीश पाण्डेय भवन के निकट तक नाली व रास्ता निर्माण कार्य।	17.16
6	वार्ड बजेटी श्री फकीर राम भवन के निकट से श्रीमती तारा देवी भवन के निकट तक सड़क निर्माण कार्य।	15.98
7	वार्ड बजेटी श्री राजेन्द्र कुमार भवन के निकट से बजेटी की ओर सड़क निर्माण कार्य।	14.34
8	वार्ड बजेटी मुख्य सड़क से श्री मनोज कुमार भवन के निकट तक सड़क निर्माण कार्य।	18.6
9	वार्ड बजेटी श्री राकेश कुमार भवन के निकट से श्री बहादुर प्रसाद भवन तक दीवार, रास्ता व नाली निर्माण कार्य।	10.19
10	वार्ड बजेटी श्री अशोक कुमार भवन के निकट से श्री आनन्द कुमार भवन तक दीवार व रास्ता निर्माण कार्य।	11.66
11	जगदम्बा कालौनी में रास्ता व नाली निर्माण कार्य।	15.64
12	ऐंचोली में ऐंचोली पुल के निकट से श्रेष्ठ होटल की ओर नाले की सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	19.7
13	ऐंचोली में श्रेष्ठ होटल के निकट से श्री नवल पाण्डेय भवन की ओर नाले की सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	19.94
14	ऐंचोली में श्री नवल पाण्डेय भवन के निकट से एस.एस.बी. की ओर नाले की सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	19.68
15	वार्ड पुनेड़ी श्री विजेन्द्र पुनेड़ा भवन (निकट बेस चिकित्सालय) के निकट से आई.टी.आई. की ओर रास्ता निर्माण कार्य।	15.75
16	वार्ड विण–जाखनी श्रीमती प्रमिला बोहरा भवन के निकट से श्री बृजनन्दन तिवाड़ी भवन की ओर नाला एवं सड़क निर्माण कार्य।	19.15

Scanned with CamScanner

17	सेरा में श्री किशन मेहता भवन के निकट से पाटा की आरे पुल व रास्ता निर्माण कार्य।	16.19
18	बजेटी महादेव शिव मन्दिर के निकट से महादेव पुल तक नाले की सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	19.42
19	वार्ड धनौड़ा डॉ0 भूपाल चन्द भवन के निकट से धनौड़ा नौले की ओर रास्ता निर्माण कार्य।	4.87
20	भाटकोट में श्री मोहन चन्द्र भट्ट भवन के निकट से ब्लैक व्हाईट कैफे की ओर नाली निर्माण कार्य।	16.2
21	वार्ड ऐंचोली (खली में) श्री विनोद कुमार भवन के निकट से श्री संतोष कुमार भवन की ओर दीवार व रास्ता निर्माण कार्य।	19.93
22	वार्ड ऐंचोली (मसपाटी मोटर रोड़) श्री मन्नू ठकुराठी भवन के निकट से ऐंचोली की ओर दीवार व सड़क निर्माण कार्य।	19.58
23	वार्ड बजेटी पपदेऊ मुख्य मार्ग (निकट प्राईमरी पाठशाला पपदेऊ) से श्री दुर्गा राम भवन की ओर दीवार व सड़क निर्माण कार्य।	19.7
24	वार्ड ऐंचोली मसपाटी रोड़ (निकट ऐंचोली पार्क) से मसपाटी की ओर (निकट भगवती मन्दिर) दीवार व सड़क निर्माण कार्य।	19.66
25	वार्ड ऐंचोली मसपाटी मोटर रोड़ से भगवती मन्दिर की ओर दीवार व सड़क निर्माण कार्य।	19.8
26	वार्ड भाटकोट मुख्य मार्ग (निकट हिलिंग टच हॉस्पिटल) से ममता सिंह भवन की ओर दीवार, सड़क व नाली निर्माण कार्य।	18.95
27	वार्ड पुनेड़ी में श्री भुवन पुनेड़ा दुकान के निकट से केदार मन्दिर की ओर दीवार, रास्ता व नाली निर्माण कार्य।	15.58
28	वार्ड पुनेड़ी में श्री प्रकाश पुनेड़ा दुकान के निकट से श्री कैलाश पुनेड़ा भवन की ओर दीवार व रास्ता निर्माण कार्य।	13.67
29	वार्ड धनौड़ा मुख्य मार्ग श्री राधे श्याम शर्मा भवन के निकट (निकट डॉन बॉस्को स्कूल) से श्री रूविन शाही भवन की ओर सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.86
30	वार्ड विण–जाखनी पुलिस लाईन रोड़ स्कपर से श्रीमती प्रमिला बोहरा भवन की ओर नाला एवं सड़क निर्माण कार्य।	19.95
31	जाखनी में श्री भीम सिंह भवन के निकट से स्प्रिंगडेल स्कूल की ओर रास्ता व रैलिंग निर्माण कार्य।	13.27
32	भाटकोट में भाटकोट रोड़ (सी0जे0एम0 आवास के पीछे) से श्री खत्री भवन की ओर रास्ता व रैलिंग निर्माण कार्य।	17.92
33	पाण्डेगांव में केदार मन्दिर के निकट से श्री भुवन चन्द्र उप्रेती भवन की ओर रास्ता निर्माण कार्य।	6.09
34	भाटकोट में श्री ललित सिंह व श्री लक्ष्मण सिंह महरा भवन भाटकोट ठण्डी सड़क की ओर नाला निर्माण कार्य।	12.55
35	वार्ड कुमौड़ बालादत्त जोशी भवन के निकट से श्री दीवाकर जोशी भवन की ओर सड़क निर्माण कार्य।	15.21
36	भाटकोट में चतुर्थ श्रेणी आवास के निकट से कुम्या नौले की ओर नाला निर्माण कार्य।	19.58
37	वार्ड ऐंचोली मुख्य सड़क (निकट पुलिस चौकी) से श्री ललित सामन्त भवन की ओर [illegible] निर्माण कार्य।	19.86

Scanned with CamScanner

38	वार्ड ऐंचोली श्री पुष्कर सिंह महर भवन के निकट से रं जनजाति समुदाय भवन की ओर सड़क निर्माण कार्य।	19.8
39	वार्ड ऐंचोली श्री ललित सामन्त भवन के निकट से श्री पुष्कर सिंह महर भवन की ओर सड़क निर्माण कार्य।	19.74
40	दौला श्री हरीश देवलाल भवन के निकट से देवतौला की ओर दीवार व रास्ता निर्माण कार्य।	19.75
41	दौला श्री चन्द्र बहादुर भवन के निकट से दौला पंचायत घर ओर दीवार व रास्ता निर्माण कार्य।	19.94
	योगः–	681.25

(रू0 छः करोड़ इक्यासी लाख पच्चीस हजार मात्र)

Signed by
Suraj Singh Bisht
Date: 26-03-2025 13:33:55

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner